द्वितीय संस्करण
प्रलेख सं. निनिप/मसाले – योजना/जून 2005/ अंक 1

लाल मिर्च को एक घटक के रूप में लेते हुए प्रसंसाधित खाद्य पदार्थों के प्रमाणन की योजना

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
एनडीवाईएमसीए कल्चरल बिल्डिंग, तीसरा तल,
1 जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110001
टेली : 0091-11-23748188, 23748189, फैक्स :0091-11-23748024
ई-मेल : eic@eicindia.org
वेबसाइट : www.eicindia.org

लाल मिर्च को एक घटक के रूप में लेते हुए प्रसंसाधित खाद्य पदार्थों के प्रमाणन की योजना

1. **परिचय** : - लाल मिर्च और लाल मिर्च युक्त उत्पादों में सूडान I-IV और एफ्लाटॉक्सिन की उपस्थिति अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य सुरक्षा विनियामकों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बनता जा रहा है, इस लिए यह अनिवार्य बना दिया है (मसाला बोर्ड परिपत्र सं. एमडी/सीएच1/01/ 03, दिनांक 7 मार्च, 2005 द्वारा) की लाल मिर्च युक्त सभी निर्यात किए जाने वाले खाद्य उत्पादों को तभी लिया जाएगा यदि यह परेषण सूडान I-IV और एफ्लाटॉक्सिन से मुक्त होने के प्रमाणित होगा तथा इसमें निर्दिष्ट सीमा से अधिक एफ्लाटॉक्सिन नहीं है। यह प्रमाणन निनिप द्वारा किया जाएगा, जो निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारत सरकार का आधिकारिक प्रमाणन निकाय है। लाल मिर्च तो एक घटक के रूप में लेते हुए उत्पादों के परेषणों के अनुपालन की जांच की यह योजना और इसके साथ बनाई गई विशिष्टियां इस प्रलेख में दी गई हैं।

2. **विस्तार क्षेत्र**:- इस योजना में खाद्य पदार्थों युक्त परेषणों के निरीक्षण शामिल हैं, जिनमें मिर्च एक घटक के रूप में शामिल है। इस योजना के प्रयोजन हेतु खाद्य उत्पादों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा गया है:

   (क) प्रसंसाधित फल और सब्जियों के उत्पाद जैसे अचार, चटनी, कैचप आदि
   (ख) स्नेक्स जिसमें तले स्नेक्स जैसे भुजिया, स्टार्च आधारित उत्पाद जैसे पापड़ आदि
   (ग) उपयोग के लिए तैयार मिश्रित मसाला

3. **प्रक्रिया**

3.1 निरीक्षण हेतु आवेदन

3.1.1 अनुमोदन पाने के इच्छुक निर्यातक दोहरी प्रति में **परिशिष्ट-I** में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार निरीक्षण हेतु अपने आवेदन संबंधित नि नि अ में प्रस्तुत करेंगे।

3.1.2 आवेदन के साथ निर्यात संविदा और आयातक देश या क्रेता द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी विशिष्टि की एक प्रति संलग्न होगी यदि अन्य प्राचलों को प्रमाणन के अधीन शामिल किया जाना है।

3.1.3 आवेदन के साथ संबंधित नि नि अ के पक्ष में मांग पत्र के रूप में आहरित लागू होने वाला निरीक्षण शुल्क संलग्न होगा।

3.1.4 यदि परिसर नि नि अ के कार्यालय के स्थान पर ही स्थित है तो आवेदन निरीक्षण के कम से कम दो दिन पहले दिया जाएगा और यदि परिसर ऐसे स्थान पर स्थित नहीं हैं, जहां नि नि अ का कार्यालय है तो आवेदन निरीक्षण के कम से कम 5 दिन पहले दिया जाएगा।

3.2 **निरीक्षण**

3.2.1 संबंधित नि नि अ द्वारा निरीक्षण का कार्य लदान के पत्तन पर अथवा पैककर्ता के परिसर में या किसी अन्य परिसर में, जहां निर्यातक द्वारा परेषण प्रस्तुत किया जाता है, बशर्ते कि वहां निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं, जिसमें आरेखन, तैयारी और नमूनों की सीलिंग की सुविधा निर्यातक द्वारा प्रदान की जाती है।

3.2.2 अधिकृत नि नि अ अधिकारी यह संतुष्टि करने के लिए लॉट का सत्यापन करेंगे कि यह संख्या, किस्म और मुहरांकन आदि के संदर्भ में घोषणा के अनुरूप है।

3.2.3 परेषण ढेर के रूप में सील बंद किया जाएगा, यदि इसे नमूने लेने के तत्काल बाद पात्र में बंद नहीं कर दिया जाता है। पुनः पात्रों को नि नि अ के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की उपस्थिति में भरा और मुहरबंद किया जाएगा।

3.2.4 यदि परेषण पात्र में भरा गया है तो इसे मुहरबंद किया जाएगा और इसे निरीक्षण के प्रमाणपत्र में दर्ज भी किया जाएगा। पुनः, अभिकरण को भण्डारण के किसी स्थल पर, ले जाने के दौरान अथवा वास्तविक लदान के पूर्व पत्तन पर परेषण की गुणवत्ता का पुनः आकलन करने का अधिकार होगा।

3.2.5 नमूना लेने का कार्य पूरा होने पर निरीक्षण अधिकारी **परिशिष्ट- II** में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार एक क्षेत्र निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा।

3.3 **नमूने लेना**

3.3.1 परेषण के परीक्षण प्रयोजन से नामनिर्दिष्ट नि नि अ अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत प्रत्येक लॉट में से दो नमूने **परिशिष्ट- III** में दी गई प्रक्रियाविधि के अनुसार लिए जाएंगे।

3.3.2 आहरित नमूने निर्यातक की उपस्थिति में मुहरबंद किए जाने चाहिए, ताकि अनधिकृत रूप से खोलने का पता लगाया जा सके। दोनों नमूने निम्नलिखित जानकारी वाले पहचान टैग के साथ दिए जाएंगे।

- नमूना लेने की तिथि
- बैच संख्या सहित लॉट का आकार
- नमूने का भार
- नमूना लेने वाले अधिकारी का नाम और पद

3.3.3 निर्यातक को उचित पावती के साथ एक नमूना दिया जाएगा, जबकि दूसरा नमूना निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार परीक्षण के लिए नि नि अ प्रयोगशाला/नि नि प अनुमोदित प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। निर्यातक के नमूने का विश्लेषण केवल विवाद की स्थिति में किया जाएगा।

3.4 **परीक्षण**

3.4.1 प्रयोगशाला के नमूने नि नि अ अधिकारी द्वारा लाए जाएंगे और इन्हें प्रयोगशाला अथवा कुरियर के माध्यम से उचित पावती के साथ नि नि अ प्रयोगशाला/नि नि प अनुमोदित प्रयोगशाला को सौंपा जाएगा।

3.4.2 प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण निम्नलिखित निर्धारित प्राचलों के लिए **परिशिष्ट- IV** में बताई गई विश्लेषण विधि के अनुसार किया जाएगा।

क्र. सं.	प्राचल	प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए आशयित प्रसंसाधित उत्पाद	एक घटक के रूप में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद	मिश्रित मसाले
1	एफ्लाटॉक्सिन (माइक्रोग्राम/किलोग्राम)			
	बी$_1$	2	-	5
	बी$_1$+ बी$_2$+ जी$_1$+ जी$_2$	4	15 पीपीबी	10
2	सूडान रेड I-IV	नहीं मिला	नहीं मिला	नहीं मिला

3.5 **निरीक्षण का प्रमाणपत्र**

3.5.1 यदि नमूना निर्धारित विशिष्ट के अनुरूप है तो नि नि अ द्वारा **परिशिष्ट- V** में निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। निरीक्षण का प्रमाणपत्र नि नि अ द्वारा निरीक्षण की तिथि से 60 दिनों तक वैध होगा।

3.5.2 यदि आहरित नमूना निर्धारित विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो इस परेषण को निर्यात के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा और अस्वीकरण रिपोर्ट जारी की जाएगी।

3.5.3 निरीक्षण के प्रमाणपत्र इसे जारी करने की तिथि से 60 दिनों तक वैध होंगे।

3.5.4 यदि प्रमाणपत्र द्वारा आवरित सामग्री को निरीक्षण की तिथि के लिए 60 दिनों के अंदर पोत में नहीं लादा जाता है तो अनिवार्य निरीक्षण शुल्क प्रभावित करने के बाद परेषण का पुन:निरीक्षण किया जाएगा और एक नया निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

3.5.5 परिवहन के दौरान भी निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है, यदि जहां परीक्षण रिपोर्ट की उपलब्धता के परेषण को पोत में लादा गया है वहां से निर्यातक की ओर से यह वचन दिया जाए कि यदि परेषण बताई गई विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो इसे वापस ले लिया जाएगा।

4. निरीक्षण शुल्क

निर्यातक द्वारा संबंधित नि नि अ को प्रति परेषण न्यूतम 500 रु. के अधीन एफओबी मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर पर शुल्क का भुगतान संबंधित नि नि अ के पक्ष में आहरित मांग पत्र/चैक के रूप में अग्रिम रूप से किया जाएगा।

5. मुहरांकन और पैकिंग

उत्पाद को स्वास्थ्यकर रूप से साफ उपयुक्त पात्रों में पैक किया जाएगा। प्रत्येक पात्र पर निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट और साफ-साफ अक्षरों में अंकित की जाएगी :-

- प्रसंसाधक या विनिर्माता का नाम और पता
- निर्यातक का नाम और पता
- सामग्री का नाम और ग्रेड का नाम
- बैच या लॉट सं.
- प्रसंसाधन या विनिर्माण का वर्ष, माह और तिथि
- सकल भार और निवल भार
- भारत का उत्पाद
- पोत लदान मुहर

परिशिष्ट- III

एक घटक के रूप में मिर्च के उत्पादों के नमूने

1. सामान्य आवश्यकताएं

1.0 नमूने आहरित करते समय, तैयार करते समय, भण्डारण और प्रहस्तन के दौरान निम्नलिखित सावधानियों और निर्देशों का पालन किया जाएगा।

1.1 नमूने एक सुरक्षित स्थान पर लिए जाएंगे जो नम हवा, धूल या धुंध वाला न हो।

1.2 नमूना लेने के उपकरण उपयोग के दौरान साफ और सूखे होंगे।

1.3 नमूनों को सुरक्षित रखने की सावधानी रखी जाएगी और जिस सामग्री का नमूना लिया जा रहा है उसके उपकरण और पात्र संक्रमण से मुक्त होंगे।

1.4 नमूने को स्वच्छ और सूखे पात्रों में रखा जाएगा। नमूने के पात्र इस माप के होंगे कि वे नमूने से करीब-करीब भर जाएंगे।

1.5 प्रत्येक पात्र को भरने और नमूना लेने के पूर्व विवरण, कोड सं. और परेषण के अन्य महत्वपूर्ण विवरण लिखने के बाद कसकर वायुरोधी सील से बंद किया जाएगा।

1.6 नमूनों को इस प्रकार भंडारित किया जाएगा कि सामग्री का तापमान सामान्य तापमान से बहुत अधिक भिन्न नहीं हो।

2. परिभाषा

इस मानक के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी।

2.1 परेषण

एक बार में भेजे या प्राप्त किए गए उत्पाद की मात्रा और एक विशेष संविदा या पोत लदान प्रलेख द्वारा आवरित मात्रा। इसमें एक या एक से अधिक लॉट हो सकते हैं।

2.2 लॉट

2.3 एक परेषण में सामग्री की कही गई मात्रा, जिसमें एकसार विशेषताएं हों और इसे एक बार निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाए।

2.4 प्रयोगशाला के नमूने

विश्लेषण के लिए एक लॉट में से लगातार बढ़ते नमूनों को जोड़ कर प्राप्त उत्पाद की मात्रा। लगातार बढ़ते नमूनों में सामग्री की मात्रा इन सभी परीक्षणों को करने के लिए आवश्यक मात्रा की 4 गुना होगी।

3. नमूने लेने का पैमाना

3.1 लॉट

सामग्री के समान ग्रेड वाले एकल परेषण में आने वाले सभी पात्र एक लॉट बनाते हैं। यदि परेषण में विभिन्न ग्रेडों की सामग्री होने की घोषणा की जाती है तो एक समान ग्रेड के पात्रों को एक साथ रखा जाएगा और एक परीक्षण में एक समान ग्रेड के पात्रों का समूह एक अलग लॉट बनाएगा। करी युक्त सब्जियों के मामले में, जिन्हें हिमशीतित किया गया है, जिसमें मदों की बड़ी परास है, समय की प्रत्येक परास को एक लॉट के रूप में लिया जाएगा और इसलिए प्रत्येक लॉट से अलग-अलग नमूने लिए लाएंगे, प्रत्येक को सूडान रेड के लिए परीक्षण से गुजारा जाएगा।

3.1.1 नमूनों को इस विशिष्टि की आवश्यकताओं के साथ अनुरुपता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक लॉट से लेकर उनका परीक्षण किया जाएगा।

3.1.2 प्रत्येक लॉट से चुने गए पात्रों की संख्या लॉट के साइज़ पर निर्भर करेगी और यह तालिका 1, 2, 3 और 4 के अनुसार किया जाएगा, जैसा लागू हो :

तालिका 1 : प्रसंसाधित फलों और सब्जियों के लिए चुने गए पात्रों की संख्या

लॉट में कैन/बोतलों की सं.	खोले जाने वाले पैकिंग केस/ बोतलों की संख्या	लगातार बढ़ते नमूने लेने के लिए चुने गए कैन/बोतलों की संख्या
200 तक	3	6
200‘‘300	4	8
301’’500	5	10
501’’800	6	12
801’’1300	7	14
1301’’3200	8	16
3201 और इससे अधिक	10	20

*- चुने गए प्रत्येक पैकिंग कैस में से दो कैन/बोतलें निकाली जाएगी, ताकि कॉलम 3 में दर्शाए अनुसार कैनों की कुल सं. मिल सके।

तालिका 2 : भुने हुए स्नेक्स जैसे भुजिया, स्टार्च आधारित उत्पाद, पापड़ आदि सहित स्नेक्स के लिए नमूनों का पैमाना।

लॉट में पैकों की सं.	लगातार बढ़ते नमूने लेने के लिए नमूने हेतु पैकों की संख्या
150 तक	2
151 से 500	3
501''1000	4
1001''3000	5
3000''10 000	7
10 001 और इससे अधिक	10

तालिका 3 : मसालों के मिश्रण जैसे सांबर मिश्रण आदि के लिए नमूने लेने का पैमाना

लॉट में पात्रों की सं.	लगातार बढ़ते नमूने लेने के लिए नमूने का साइज़
50 तक	5
51 से 100	8
101''300	13
301'500	20
500 से 1000	32

3.2 पात्रों को लॉट में से यादृच्छिक आधार पर चुना जाएगा।

3.3 प्रत्येक चुना गए पैकेज का सकल भार और निवल भार दर्ज किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह पैकेज पर दी गई सूचना और घोषणा के अनुसार है।

4. परीक्षण नमूने

4.1 परीक्षण नमूनों की तैयारी

- पात्र के विभिन्न हिस्सों (ऊपर, मध्य और निचले हिस्से आदि में) से एक लॉट से समान मात्रा में संग्रह किए गए लगातार बढ़ते नमूनों को मिलाएं, जब तक कि कुल एक किलोग्राम सामग्री जमा हो जाए। तापीय रूप से प्रसंसाधित करी युक्त सब्जियों, खाने के लिए तैयार सब्जियों (कैन बंद/बोतल बंद/लचीली

पैकिंग/विसंक्रामक रूप से पैकेज बंद) सब्जियों के मामले में प्रत्येक पैकेज की सामग्री को लगातार बढ़ते नमूने के रूप में चुना जाएगा और इन नमूनों को खाली किया जाएगा तथा प्रतिनिधि नमूने एक किलो ग्राम के मिश्रित नमूने को तैयार करने के लिए उठाए जाएंगे।

- इसे दो बराबर हिस्सों में बांटें। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक भाग में एक अलग नमूना होगा, जो उस पात्र का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अच्छी तरह सफाई करने के बाद तुरंत सूखे, सील बंद, वायु रोधी पात्र में अंतरित किया जाएगा, और 3.3.2 में दिए गए विवरणों के अनुसार मुहरांकित होंगे।
- प्रत्येक पात्र से इस प्रकार प्राप्त दो अलग-अलग नमूनों को इस प्रकार दो सैटों में बांटा जाएगा कि प्रत्येक सैट में प्रत्येक चुने गए का पात्र प्रतिनिधित्व हो। इनमें से एक को निर्यातक/प्रसंसाधक के पास तथा दूसरे को नि नि अ में भेजा जाएगा।

परिशिष्ट- IV

विशिष्टियां

क्र. सं.	उत्पाद	प्राचल	विधि	पता लगाने की सीमा
1	प्रसंसाधित फल और सब्जियों के उत्पाद जैसे अचार, चटनी, केचप आदि	एफ्लाटॉक्सिन सूडान रेड I-IV	एचपीएलसी/एलाइज़ा किट एचपीएलसी-डीएडी/ एलसी एसएस एमएस	4-50 पीपीबी 1-10 पीपीएम 01-1 पीपीएम
2	स्नेक्स जिसमें तले हुए स्नेक्स जैसे भुजिया, स्टार्च आधारित उत्पाद जैसे पापड़ आदि शामिल हैं	एफ्लाटॉक्सिन सूडान रेड I-IV	एचपीएलसी/एलाइज़ा किट एचपीएलसी-डीएडी/ एलसी एसएस एमएस	4-50 पीपीबी 1-10 पीपीएम 01-1 पीपीएम
3	तैयार मिश्रित मसाला	एफ्लाटॉक्सिन सूडान रेड I-IV	एचपीएलसी/एलाइज़ा किट एचपीएलसी-डीएडी/ एलसी एसएस एमएस	4-50 पीपीबी 1-10 पीपीएम 01-1 पीपीएम

परिशिष्ट- I

निरीक्षण के लिए आवेदन

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">निर्यातक का नाम और पता 1</td><td>इनवॉइस सं. और तिथि
10</td><td>निर्यातक का संदर्भ 11</td></tr>
<tr><td colspan="2">क्रेता के क्रयादेश की सं. और तिथि
12</td></tr>
<tr><td colspan="2">विनिर्माता का नाम और पता 2</td><td colspan="2" rowspan="2">प्रति
13
(निरीक्षण प्राधिकरण का नाम और पता)

कृपया . . . . अधिनियम के तहत परेषण का निरीक्षण करें और निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करें। निरीक्षण शुल्क के रूप में . . . . रु. का . . . . में आहरित एक रेखांकित चैक संलग्न है/कृपया हमारे खाते की बचत पुस्तिका सं.. . . .. . . के नामे डालें जो संलग्न है।

तिथि निर्यातक के हस्ताक्षर</td></tr>
<tr><td colspan="2">विनिर्माता की सील यदि कोई हो, के विवरण 3</td></tr>
<tr><td>पर निरीक्षण आवश्यक 4</td><td>साप्ताहिक अवकाश 5</td><td colspan="2">वह पता जहां परेषण का निरीक्षण किया जाना है 14</td></tr>
<tr><td>वेसल/फ्लाइट सं. 6</td><td>लदान का पत्तन 7</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>लैंडिंग की संभावित तिथि 8</td><td>सीलिंग/फ्लाइट की तिथि 9</td></tr>
</table>

घोषणा के अनुसार मुहर और सं. 15	पैकेजिंग की सं. और प्रकार 16	वस्तुओं का विवरण (*) 17	मात्रा 18	एफओबी (रु.) 19

निर्यात संविदा में निर्धारित अनुसार विशेषताओं सहित विशिष्टियों/अनुमोदित नमूनों के साथ इसकी तकनीकी आवश्यकताएं। 20

अन्य संगत जानकारी 21

घोषणा : प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लिखित वस्तुएं शर्तों को संतुष्ट करने के लिए निर्मित/उत्पादित की गई हैं 22
जो उन पर मिर्च को एक घटक के रूप में लेकर प्रसंसाधित खाद्य उत्पादों के प्रमाणन हेतु योजना के तहत उन पर लागू हैं और यह कि परेषण विशिष्टि के अनुरूप है।
प्रमाणित किया जाता है कि वस्तुएं सूचना सं. . .. . . दिनांक. . .. . . को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत की गई और पहले बताए गए दोषों को पूरी तरह दूर किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लिखित के अलावा कोई अतिरिक्त तकनीकी या गुणवत्ता संबंधी आवश्यकता नहीं है, जिसे विदेशी क्रेता द्वारा निर्धारित किया गया हो — तिथि और हस्ताक्षर

(*) विवरण में ग्रेड, साइज़ और ब्रांड शामिल होना चाहिए, यदि कोई है

परिशिष्ट- V

निरीक्षण के लिए आवेदन

निर्यातक का नाम और पता 1		इनवॉइस सं. और तिथि 6		
		क्रेता के क्रयादेश की सं. और तिथि 7		
विनिर्माता का नाम और पता 2		8 **निर्यात निरीक्षण अभिकरण – चेन्नई/दिल्ली /कोलकाता/कोच्चि/मुम्बई** (वाणिज्य मंत्रालय) भारत सरकार संबंधित नि नि अ का पता		
विनिर्माता की सील यदि कोई हो, के विवरण 3				
निरीक्षण प्राधिकरण की मुहर के विवरण, यदि कोई हो 4		प्रमाणपत्र सं. 9		
विशिष्टि संदर्भ 5				
घोषणा के अनुसार मुहर और सं. 10	पैकेजिंग की सं. और प्रकार 11	वस्तुओं का विवरण (*) 12	मात्रा 13	एफओबी (रु.) 14
टिप्पणी, यदि कोई हो		एफओबी संशोधन के लिए मुहर 15		

परेषण वार निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणित 16

यह एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार परेषण का निरीक्षण मिर्च को एक घटक के रूप में लेकर प्रसंसाधित खाद्य पदार्थों के प्रमाणन हेतु योजना के अंतर्गत किया गया है

यह इस पर लागू होने वाली शर्तों को पूरा करता है और इसे निर्यात योग्य प्रमाणित किया जाता है।

निरीक्षण की तिथि . . . .

जिसे विदेशी क्रेता द्वारा

हस्ताक्षर . . . .
नाम. . . . .
पद . . . .
तिथि . . . .

(*) विवरण में ग्रेड, साइज़ और ब्रांड शामिल होना चाहिए, यदि कोई है

निरीक्षण हेतु सूचना

प्रति

निर्यात निरीक्षण अभिकरण,

. . . .

. . . .

प्रिय महोदय,

कृपया परेषण का निरीक्षण करें, इसके विवरण निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत आवश्यक निर्यात हेतु निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नीचे दिए गए हैं।

<table>
<tr><td colspan="2">1. निर्यातक का नाम और पता</td><td colspan="2" rowspan="2">संदर्भ सं. . . . . तिथि . . . .
निरीक्षण प्रणाली : सीडब्ल्यू आई
निरीक्षण शुल्क . . . .
चैक/ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर सं. . . . . .
दिनांक . . .
जमा खाता सं. .. . .
दिनांक . . .. को निरीक्षण किया जाए</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. विनिर्माता का नाम और पता</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. वस्तु का नाम</td><td colspan="2">4. क्रेता का क्रयादेश/संविदा सं. और तिथि</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. वस्तुओं के विवरण सहित उनका ग्रेड, साइज़, कोड और ब्रांड नेम, यदि कोई हों</td><td rowspan="2">6. पोत लदान की मुहर</td><td>7. एफओबी मूल्य</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">9. मात्रा</td><td>8. पैकेज की सं. और प्रकार (यदि पात्र के अंदर हैं)</td></tr>
<tr><td colspan="2">10. निरीक्षण का आधार (विशिष्टियां)</td></tr>
<tr><td colspan="2">11. मुहरों/लेबलों आदि के विवरण</td><td colspan="2">12. पता, जहां सामान निरीक्षण के लिए रखा है</td></tr>
<tr><td>13. लदान का पत्तन</td><td>14. साप्ताहिक अवकाश</td><td colspan="2">15. अन्य कोई संगत जानकारी</td></tr>
</table>

एतद् द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है :

(क) उपरोक्त उल्लिखित परेषण पहले सूचना सं. . . . .. . दिनांक . . . . . . द्वारा निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए थे। इसमें बताए गए दोषों को ठीक तरह दूर किया गया है।

(ख) बॉक्स 10 में उल्लिखित अतिरिक्त तकनीकी या गुणात्मक आवश्यकताएं विदेशी क्रेताओं द्वारा नहीं बताई गई हैं।

फर्म के पूरे पते सहित मुहर	हस्ताक्षर :
जो लागू नहीं उसे काट दें	नाम और पता :
	(बड़े अक्षरों में)

निर्यात हेतु मूल निरीक्षण प्रमाणपत्र

<table>
<tr><td>दिनांक . . . . तक और सहित लदान के लिए वैध</td><td colspan="2">प्रमाणपत्र सं.</td></tr>
<tr><td>1. निर्यातक का नाम और पता</td><td colspan="2" rowspan="2">ग्राम : लदान मात्रा टेलेक्स :
निर्यात निरीक्षण अभिकरण -
(वाणिज्य मंत्रालय)
भारत सरकार
. . . .</td></tr>
<tr><td>2. विनिर्माता का नाम और पता</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3. वस्तु का नाम</td><td colspan="2">4. क्रेता का क्रयादेश/संविदा सं. और तिथि</td></tr>
<tr><td>6. मात्रा (जो निर्यातक द्वारा घोषित की जाए)</td><td>7. पैकेज की सं. और प्रकार</td></tr>
<tr><td>5. वस्तुओं के विवरण के साथ साइज़, कोड और ब्रांड नेम आदि यदि कोई हो</td><td>9. एफओबी मूल्य</td><td>10.सील/लेबल के विवरण</td></tr>
<tr><td>8. पोत लदान की मुहर</td><td colspan="2" rowspan="5">10.यह प्रमाणित किया जाता है कि दिए गए विवरण के अनुसार वस्तुओं को निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिनियम की मानक विशिष्टियों और आवश्यकताओं के अनुसार विधिवत निरीक्षित किया गया है

निर्यात निरीक्षण अभिकरण के लिए. . . . . . .
नाम
पद

स्थान
तिथि
(मुहर)</td></tr>
<tr><td>11. निरीक्षण का आधार</td></tr>
<tr><td>12. निरीक्षण की तिथि</td></tr>
<tr><td>13. लदान का पत्तन</td></tr>
<tr><td>14. टिप्पणियां</td></tr>
</table>